

दिनांक-27 नवम्बर, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :-

पंचायती राज विभाग

1. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-105 के तहत पंचायत उप चुनाव, दिसम्बर, 2012 एवं नवगठित ग्राम पंचायत, जम्होर (औरंगाबाद) के ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के आम निर्वाचन, 2012 हेतु मतदान तिथि की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में।

1. स्वीकृत। पदों की संख्या की त्रुटि में सुधार हेतु प्रशासी विभाग को प्राधिकृत किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग

2. चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना को गैर योजना मद में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल 1,40,00,000/- (एक करोड़ चालीस लाख) रुपये मात्र में से 76,59,063 (छिहत्तर लाख उनसठ हजार तिरेसठ) रुपये मात्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

2. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

3. वित्तीय वर्ष 2012-13 में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना को गैर योजना मद अंतर्गत, सहायक अनुदान मद में उपबंधित कुल राशि 1,54,36,000/- (एक करोड़ चौवन लाख छत्तीस हजार) रुपये की स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

4. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012 की स्वीकृति।

4. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

5. बिहार निबंधन सेवा के अवर निबंधक वेतनमान PB-3 (15600-39100) ग्रेड पे 5400/-से जिला अवर निबंधक वेतनमान PB-3 (15600-39100) ग्रेड पे 6600/- तथा जिला अवर निबंधक वेतनमान PB-3 (15600-39100) ग्रेड पे 6600/-से निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक/सहायक निबंधन महानिरीक्षक वेतनमान PB-3 (15600-39100) ग्रेड पे 7600/- के पद पर नियमित प्रोन्नति एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010) एवं संगत प्रावधानों के आलोक में बिहार निबंधन सेवा के पदाधिकारियों को दिनांक-01.01.09 से देय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ की स्वीकृति।

5. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. बिहार खास महाल नीति, 2011 में संशोधन के संबंध में।

6. प्रस्तावित नई कंडिका-25 के प्रथम वाक्य में शब्द समूह 'धार्मिक संस्था' के बाद शब्द समूह 'जिसका उद्देश्य लाभ कमाना न हो,' जोड़ने की शर्त के साथ स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज अंचल के मौजा- भातगाँव, थाना सं०-01, खाता सं०-687 खेसरा सं०-07 का रकबा-0.13 एकड़, एवं खेसरा सं०-08 का रकबा-0.15 एकड़ कुल रकबा-0.28 एकड़ गैर मजरूआ खास बिहार सरकार किस्म पुरानी परती भूमि एस०एस०वी० 36वीं बटालियन ठाकुरगंज के भातगाँव कैम्प परिसर हेतु 1,77,800 (एक लाख सत्तहत्तर हजार आठ सौ) रु० सलामी एवं सलामी के 5% वार्षिक लगान अर्थात् 8890 (आठ हजार आठ सौ नब्बे) रु० के 25 गुणा अर्थात् 2,22,250 (दो लाख बाईस हजार दो सौ पचास) रु० पूजीकृत मूल्य सहित कुल 4,00,050 (चार लाख पच्चास) रु० के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण।

7. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. बिहार राज्य मेला प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012 की स्वीकृति के संबंध में।

8. स्वीकृत।

वाणिज्य-कर विभाग

9. प्रवेश कर की दरों को वैट की दरों के अनुरूप किये जाने के संबंध में।

9. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10. राज्य में संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों में से प्रथम चरण में उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of excellence) के रूप में विकसित करने हेतु चयनित 19 महाविद्यालयों के विभिन्न योजनाओं के लिए कुल रूपये 19,42,65,872/- (उन्नीस करोड़ बयालीस लाख पैंसठ हजार आठ सौ बहत्तर) रूपये मात्र सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति।

10. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

11. पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना से प्रीमियम अनुदान मद में 12500.00 लाख (एक अरब पचीस करोड़) रूपये की स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप व्यय की स्वीकृति।

11. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

12. संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में राज्य योजना से प्रीमियम अनुदान मद में 500.00 लाख (पाँच करोड़) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति।

12. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

14. बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण व व्यापार का विनियमन) विधेयक, 2012 [Bihar State Street Vendors (Protection of livelihood and Regulation of Trade) Bill, 2012] प्रारूप के मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति के संबंध में।

14. प्रस्तावित विधेयक की धारा 12 की उपधारा-8 में अन्य के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता देने का प्रावधान करने एवं तदनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रारूप में संशोधन करने के निदेश के साथ स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

15. केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम-निर्मल भारत अभियान (पूर्व में संपूर्ण स्वच्छता अभियान) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विद्यालयों में शौचालय निर्माण के पुनरीक्षित लक्ष्य के आलोक में राज्य के 33 जिलों के विद्यालयों में 25582 अदद शौचालयों यूनियों के निर्माण हेतु ₹10500.00 की दर से राज्यांश के रूप में कुल ₹2686.11 लाख (छब्बीस करोड़ छियासी लाख ग्यारह हजार) की योजना की स्वीकृति एवं तदनुसार राशि को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से संबंधित जिलों के जिला जल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने की स्वीकृति।

15. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4215-16/2002 में दिनांक 22.07.2002 को पारित न्यायादेश के मिसइन्टरप्रेटेशन (Misinterpretation), तथ्यों के भ्रम (Misconception effects) एवं मिसरिप्रेजेंटेशन (Misrepresentation) के आधार पर पूर्व में निर्गत विभागीय आदेशों को मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त निर्गत राजकीय संकल्प संख्या-608 दिनांक-10.04.2012 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित न्यायादेशों के आलोक में उच्च शिक्षा के गुणवत्ता पर होने वाले प्रभाव तथा इस क्रम में हो रही अन्य गंभीर विसंगतियों के निराकरण के संबंध में।

16. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

17. श्री कृष्ण सेवा सदन, मुंगेर जिला केन्द्रीय पुस्तकालय को गैर योजना मद से स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में सहायक अनुदान कुल ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

17. स्वीकृत।